राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

**<u>अपील संख्या: - 7082/2017</u>**

| **अपीलार्थी** | **बनाम** | **प्रत्यर्थी** |
|---|---|---|
| राजेन्द्र कुमार<br>666 महावीर नगर टोक रोड जयपुर<br>जयपुर , राजस्थान | | राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं<br>जिला परिवहन अधिकारी गै0प0,<br>परिवहन विभाग झालाना जयपुर |

**द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

**निर्णय**

**दिनांक : 14-03-2018**

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री अनिल कुमार सोनी, जिला परिवहन अधिकारी उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 08-11-2016 के द्वारा कुछ वाहनों के मालिकों के नाम तथा उनके द्वारा पार्किंग के संबंध में दिये गये शपथ पत्र की प्रति चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को वांछित सूचना पत्र दिनांक 30-01-2018 से उपलब्ध करादी गई है। जिसकी पुष्टि जिला परिवहन अधिकारी के पत्र दिनांक 20-02-2018 से होती है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 20-02-2018 मय संलग्रक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को पृष्ठाकिंत की है। अपीलोत्तर में अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना पत्र दिनांक 30-01-18 से प्रेषित करदी गई है।
7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रेषित कर कर दी गई है परन्तु सूचना प्रेषित करने में अत्यन्त विलम्ब किया गया है। अतः प्रत्यर्थी को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य मे सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों का अधिनियम-2005 में निर्धारित समायावधि मे किया जाना सुनिश्चित करें।
8. अस्तु, वर्तमान उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।
9. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।
10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

**(सुरेश चौधरी)**
**मुख्य सूचना आयुक्त**